मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

01, तिलक मार्ग, लखनऊ–226006

पत्र सं0 टीएस–सीसीटीएनएस–65–2012–रिट–8835/2018 दिनॉकः मार्च 8, 2019

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, समस्त जोन/परिक्षेत्र/जनपद।

विषयः **जमानत याचिका संख्या 8835/2018 रवि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ निर्देशो/ आदेश दिनांक 30.10.18, 15.11.2018, 29.11.2018 तथा 12.02.2019 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के आलोक में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन एवं अनुश्रवण विषयक।**

कृपया जमानत याचिका संख्या 8835/2018 रवि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ निर्देशों/ आदेश दिनांक 30.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018 तथा 12.02.2019 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के आलोक में मेरे समसंख्यक पत्र दिनांक 27.02.2019 का सन्दर्भ लें। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन एवं अनुश्रवण हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने के सन्दर्भ में पूर्व में पत्र निर्गत किये जा चुके हैं जिसमें निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही अपेक्षित हैः–

1. सीसीटीएनएस पोर्टल पर समस्त फ़ॉर्म की फ़ीडिंग
2. सीसीटीएनएस पोर्टल पर समस्त विवेचनाओं की केस डायरी व पर्यवेक्षी अधिकारियों की टिप्पणी की फ़ीडिंग
3. सीसीटीएनएस के डैशबोर्ड से अपराध समीक्षा
4. PMS मोबाइल ऐप के माध्यम से थानों का मूल्यांकन एवं समीक्षा
5. सीसीटीएनएस के वेब-बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म या UPCOP मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त विभिन्न सत्यापन सेवायें व अन्य अनुरोधों का समयबद्ध डिजीटल निस्तारण
6. सीसीटीएनएस कार्ययोजना का प्रभावी एवं सुरक्षित क्रियान्वयन के लिये बजट/धनराशि की मॉग एवं उपयोग का सतत पर्यवेक्षण

2. उपरोक्त के क्रम में ही पुनः शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 433/6–पु–7–2019–10/2015 टीसी–2 दिनांक 05.03.2019 द्वारा उक्त आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त कार्यों में जनपद स्तर पर विवेचक से लेकर जनपदीय पुलिस प्रभारी तक प्रभावी संचालन व अनुश्रवण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विधिक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सम्बन्धित अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय मंतव्य (PAR/ACR/CR) में अंकित किया जाय।

3. जनपदीय क्षेत्राधिकारी उक्त के अनुपालन में अपने अधीनस्थ विवेचकों व थानाध्यक्षों के कार्यों का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

4. जनपदीय प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारियों के सन्दर्भ में उक्त के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट देंगे।

5. जोनल अपर पुलिस महानिदेशक अपने अधीनस्थ परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक की संयुक्त समिति गठित करते हुए अपने अधीनस्थ प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक के सन्दर्भ में उक्त के अनुपालन में रिपोर्ट देंगे।

6. यह सूचना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाय जिस पर अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) एवं अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) के स्तर से की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

8.3.19

(ओ० पी० सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना)
2. अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक)
3. अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)
4. अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें।

10
613

संख्या-433 /6-पु-7-2019-10/2015 टीसी-2

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः05 फरवरी, 2019

विषयः- बेल याचिका संख्या-8835/2018 रवि बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बेल याचिका संख्या-8835/2018 रवि बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2019 को पारित आदेश (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के द्वारा प्रश्नगत वाद की सुनवायी करते हुए दिनांक 12.02.2019 को सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन एवं अनुश्रवण हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.02.2019 को पारित किये गये आदेश के प्रभावी अंश निम्नवत् हैः-

"...... It shall be open to the State government to issue necessary directions to all the concerned officers for implementation of the scheme affectively and in the event of default they may be cautioned that such a conduct at their end may visit with disciplinary measure permissible under law or recorded in the annual confidential roll of the officers concerned.

Sri Vinod Kumar Shahi, learned Additional Advocate General has also informed that a letter has been forwarded to the Central government in the spirit of Court order passed on 4.1.2019 but the outcome thereof is awaited.

Sri Shahi has also proposed some measures for effective implementation of CCTNS scheme, which shall be considered on the next date of listing.

SP/AD

6/3/2019

nira/mngt/gletter/all letter 2018-19

In the meantime, the State government is expected to act fairly in the matter of implementation of CCTNS scheme and dereliction of duty by any officer brought to the notice of the state government or State Empowered Committee may also be viewed with due concern.

Awaiting the response at the end of the Central government in response to the letter dated 4.1.2019, the matter is fixed for further orders on 25.3.2019."

3- उक्त आदेश दिनांक 12.02.2019 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के क्रम में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन एवं अनुश्रवण हेतु समुचित प्रभावी कार्यवाही करने व कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के साथ-साथ यदि किसी प्रकरण विशेष मे शासन स्तर से कार्यवाही की जानी हो तो कृपया यथोचित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 उपाध्याय)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय तकनीकी सेवायें, लखनऊ।

2- अपर महाधिवक्ता (श्री वी0के0 शाही), मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)

संयुक्त सचिव।

9
6/3

संख्या-433 /6-पु-7-2019-10/2015 टीसी-2

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर महाधिवक्ता (श्री वी0के0 शाही),
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ बेंच, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः05 फरवरी, 2019

विषयः- बेल याचिका संख्या-8835/2018 रवि बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बेल याचिका संख्या-8835/2018 रवि बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2019 को पारित आदेश (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त आदेश दिनांक 12.02.2019 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 12.02.2019 मे उल्लिखित है कि सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आप द्वारा प्रस्तावित सुझाव पर आगामी सुनवाई की तिथि पर विचार किया जाना है।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष आप द्वारा प्रस्तावित उक्त सुझाव, जिन पर सुनवाई के समय विचार किया जायेगा, के सम्बन्ध में जानकारी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
(एस0पी0 उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय तकनीकी सेवायें, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति /जानकारी से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(एस0पी0 उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

SP/AD

nbajmngt/gletter/all letter 2018-19

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश
6/3/2019

A recorded in the annual confidential roll of the officers concerned.

Sri Vinod Kumar Shahi, learned Additional Advocate General has also informed that a letter has been forwarded to the Central government in the spirit of Court order passed on 4.1.2019 but the outcome thereof is awaited.

B Sri Shahi has also proposed some measures for effective implementation of CCTNS scheme, which shall be considered on the next date of listing.

C In the meantime, the State government is expected to act fairly in the matter of implementation of CCTNS scheme and dereliction of duty by any officer brought to the notice of the state government or State Empowered Committee may also be viewed with due concern.

Awaiting the response at the end of the Central government in response to the letter dated 4.1.2019, the matter is fixed for further orders on 25.3.2019.

Order Date :- 12.2.2019
kanhaiya